



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / योब०-26/2019- 505 दिनांक : २४.०८.२०२०

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली “स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना” (अन्य व्यय) के अंतर्गत पौध बीज उद्यान (Seedling Seed Orchard) की स्थापना, बीज उत्पादन क्षेत्र (Seed Production Area) की स्थापना का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु रु0 13.895 (तेरह लाख नैवासी हजार पाँच सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / योब०-50 / 2019-38 / स्वी0 व0प0 दिनांक 06.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / योबजट-50 / 2019-20 / आ0 व0प0 दिनांक 11.08.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीष-01 वानिकी, लघु शीष-101 अन्य व्यय, उप शीष-39 स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 13.895 (तेरह लाख नैवासी हजार पाँच सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101390103	11.410
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101390323	2.485
कुल :-		13.895

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1(क) एवं 1(ख) पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2(क) एवं 2(ख) तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

Page 1 of 4

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601101390103 एवं 19S240601101390323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार / उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।

8. साथ ही अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची से सीड़ आर्चड में रोपित किए जाने वाले पौधों की प्रजाति एवं उसके बीज श्रोत का अनुमोदन भी प्राप्त करके राशि व्यय की जाएगी। इसके अतिरिक्त चिन्हित किए गए बीज उत्पादन क्षेत्र के संबंध में स्थल, उसमें उपलब्ध वृक्षों की संख्या, उसकी स्थिति एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं के आधार पर उसे बीज उत्पादन क्षेत्र बनाने योग्य मापदण्डों पर समीक्षा कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती हैं, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

14. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

16. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक—1254 दिनांक—20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय—समय पर निर्गत योजना—सह—वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

17. स्थीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक—3542, दिनांक—19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—26 / 2019— 505 दिनांक— २४.०८.२०२०

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / हजारीबाग / दुमका / मेदिनीनगर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो / गिरिडीह / हजारीबाग / चतरा / दुमका / मेदिनीनगर / इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—26 / 2019— 505 दिनांक— २४.०८.२०२०

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़ / धनबाद / हजारीबाग / गढ़वा / देवघर / गोड्डा / चतरा / मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला
एवं सीड़ आर्चड योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत पौध बीज उद्यान
Seedling Seed Orchard की स्थापना हेतु समापन कार्य (द्वितीय
वर्ष) का प्रमंडलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेर में)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			29717.00	3075.00	32792.00
i	ii	iii	iv	v	vi
1	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	10	2.972	0.307	3.279
2	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	10	2.971	0.308	3.279
कुल योग :-		20	5.943	0.615	6.558



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

**वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला
एवं सीड़ आर्चड योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत बीज उत्पादन क्षेत्र
(Seed Production Area) की स्थापना हेतु समापन कार्य (द्वितीय
वर्ष) का प्रमंडलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य**

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेर में)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			6432.25	2200.00	8632.25
i	ii	iii	iv	v	vi
1	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	10	0.643	0.220	0.863
2	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	5	0.322	0.110	0.432
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	10	0.643	0.220	0.863
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	10	0.643	0.220	0.863
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर	10	0.643	0.220	0.863
6	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	5	0.322	0.110	0.432
7	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	5	0.322	0.110	0.432
8	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	10	0.643	0.220	0.863
9	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	20	1.286	0.440	1.726
कुल योग :-		85	5.467	1.870	7.337



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

योजना का नाम : पौध बीज उद्यान Seedling Seed Orchard की स्थापना
 (न्युनतम 10 हेक्टेक्टरफल हेतु) कार्य दर

रकवा : 1 हेक्टर

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) : 257.29

पौधों की संख्या - 1000 प्रति हेक्टर

i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 257.29						
1	अंश पोधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित गुणाढ़य वृक्ष वार अलग अलग बेड में पौधा तैयार करना।	हेक्टर	18	4631.22	0.00	4631.22	
2	Randomized design अनुसार वृक्षारोपण। कृपया नोट देखें।	हेक्टर	45	11578.05	0.00	11578.05	
3	दो कोड़नी निकौमी	हेक्टर	25	6432.25	0.00	6432.25	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया जैविक खाद किटनाशनक आदि)	हेक्टर	0	0.00	1575.00	1575.00	
5	बनों की सुरक्षा	दिन	27.5	7075.48	0.00	7075.48	
6	विविध कार्य छायांकन एवं प्रसार सहित साईन बोर्ड की स्थापना। प्रत्येक पौधा का गुणाढ़य वृक्ष अनुसार लेवेलिंग, सम्पुर्ण अभिलेख संधारण आदि कार्य।	हेक्टर	0	0.00	1500.00	1500.00	
	योग-		115.5	29717.00	3075.00	32792.00	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।

बीज उत्पादन क्षेत्र (Seed Production Area) की स्थापना हेतु कार्य दर


रकवा : 1 हे०

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० मे०) : 257.29

पौधों की संख्या – अधितम 150 वृक्ष प्रति हे०

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाइ	मानव दिवस	वृक्षों की संख्या	कार्य का विवरणी	रकवा (रु०)	अभिलेख
1	2	3	4	6	5	7	
(क) वित्तीय वर्ष 2020–21 में द्वितीय वर्ष मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 257.29							
1	सीड प्रोडक्शन हेतु चयनित गुणाढ़य वृक्षों (150 वृक्ष प्रति हे०) की कोडनी 5 फीट की त्रिज्या में एवं 6" ईच गहराई तक।	हे०	12.00	3087.48	0.00	3087.48	
2	गुणाढ़य वृक्ष वार अलग अलग बीज संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं अभिलेख संधारण कार्य।	हे०	10.00	2572.90	1000.00	3572.90	
3	प्रत्येक वृक्ष में जैविक खाद डालना / उर्वरक, डी०ए०पी० डालना आवश्यकतानुसार।	हे०	3	771.87	1000.00	1771.87	
4	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0.00	0.00	200.00	200.00	
	योग –		25.00	6432.25	2200.00	8632.25	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, रॉची



आवंटन आदेश

आरखड सरकार

गान्धी वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं।

प्रा. संख्या - 01/YB-26/2019/505

दिनांक -

28-Aug-2020

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं.	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	40199	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	64,300.00 रुपये चौसठ हजार तीन सौ
2	S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	40200	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	32,200.00 रुपये बत्तीस हजार दो सौ
	State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA			

96,500.00



(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवहन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	40201	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	64,300.00 
4	S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	40202	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	64,300.00 
5	S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	40211	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR	64,300.00 

192,900.00

289,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	40214	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	32,200.00 रुपये बत्तीस हजार दो सौ
7	S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	40217	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	32,200.00 रुपये बत्तीस हजार दो सौ
8	S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	40218	CTRFOR003 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	361,500.00 रुपये तीन लाख इक्सठ हजार पाँच सौ

425,900.00

715,300.00

योगः

रुपये सात लाख पंद्रह हजार तीन सौ


(NANDKISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601101390103	40220	PLMFOR070	425,700.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAHUL KUMAR IFS	रुपये चार लाख पच्चीस हजार सात सौ
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		D.F.O.MEDININAGAR.	
	39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड		OREST.DIV.	
	01 - वेतन एवं भर्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336)		
	Central Scheme :	NA		
10	S 19 240601101390323	40221	HZBFOR001	22,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		DIV. FOREST OFFICER	रुपये बाइस हजार
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		RAMGARH	
	39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड		DIV. FOREST OFFICE	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336)		
	Central Scheme :	NA		
11	S 19 240601101390323	40223	DHNFOR001	11,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI BIMAL LAKRA	रुपये ग्यारह हजार
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		DIVISIONAL FOREST	
	39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड		OFFICER	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336)		
	Central Scheme :	NA		

रुपये 458,700.00

रुपये 1,174,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

योग:

रुपये ग्यारह लाख चौहत्तर हजार

59,97,142.60

RANCH

Run Date: 28/8/2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	40224	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	22,000.00 रुपये बाइस हजार
13	S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	40226	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	22,000.00 रुपये बाइस हजार
14	S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	40229	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR	22,000.00 रुपये बाइस हजार

66,000.00

1,240,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

Run Date: 28/8/2020

क्रमांक	विपरी कोड	एक्सेस नं	निकाशी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	40232	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	11,000.00 रुपये खारह हजार
16	S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	40234	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	11,000.00 रुपये खारह हजार
17	S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	40237	CTRFOR003 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	52,700.00 रुपये बावन हजार सात सौ

योग:

क्रमिक योग:

रुपये तेरह लाख चौदह हजार सात सौ

74,700.00

1,314,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस मं	निकासी एवं व्यवस्था पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 03 - प्रशासनिक व्यवस्था 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	40239	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	74,800.00 रुपये छौहत्तर डजार आठ सौ

योग

क्रमिक योग-

रुपये तेरह लाख नवासी हजार पॉच सौ

74,800.00

1,389,500.00

~~(NAND KISHORE SINGH)~~

ADDE. PCCF.DEV.JHARKHAND